



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221115
CG-DL-E-13082020-221115

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2418]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 2418]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ. 2724(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 20.9 से कि.मी.52 (सब डिविजनल ऑफिस, पैठण फुलंब्री मुख्य कार्यालय औरंगाबाद नियर धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल अफसर एंड लैंड एक्वीजीशन अफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 20.9 से कि.मी. 52 (सब-डिविजनल ऑफिस, पैठण फुलंब्री मुख्य कार्यालय औरंगाबाद नियर धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: फुलंब्री					
गांव का नाम: बिल्डा					
1	178	निजी	नम	0.3200000(हेक्टेयर)	0.3200000
2	198	निजी	नम	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
3	261	निजी	नम	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
4	262	निजी	नम	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
गांव का नाम: महालकिन्होळा					
1	195	निजी	नम	0.0370000(हेक्टेयर)	0.0370000
2	198	निजी	नम	0.0680000(हेक्टेयर)	0.0680000
3	279	निजी	नम	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
4	280	निजी	नम	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
5	282	निजी	नम	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
6	290	निजी	नम	0.3440000(हेक्टेयर)	0.3440000
गांव का नाम: पाथ्री					
1	138	सरकारी	असिंचित	1.2080000(हेक्टेयर)	1.2080000
2	145	सरकारी	असिंचित	1.3910000(हेक्टेयर)	1.3910000
गांव का नाम: फुलंब्री					
1	425	निजी	नम	0.3800000(हेक्टेयर)	0.3800000

2	469	निजी	नम	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
3	472	निजी	नम	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
कुल				4.2490	4.2490

[फा. सं. 12037/31/2017-MAH(P-6)/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2724(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH753F in the stretch of land from Km. 20.9 to Km. 52 (sub-divisional office, paithan phulambri mukya karyalay aurangabad near dhoot hospital aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SUB-DIVISIONAL OFFICER AND LAND ACQUISITION OFFICER in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH753F in the stretch of land from Km. 20.9 to Km. 52 (sub-divisional office, paithan phulambri mukya karyalay aurangabad near dhoot hospital aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AURANGABAD		
Sl.No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Phulambri					
Village: Bilda					
1	178	Private	irrigated	0.3200000(Hectare)	0.3200000
2	198	Private	irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
3	261	Private	irrigated	0.1600000(Hectare)	0.1600000
4	262	Private	irrigated	0.0080000(Hectare)	0.0080000
Village: Mahal Kinhola					
1	195	Private	irrigated	0.0370000(Hectare)	0.0370000
2	198	Private	irrigated	0.0680000(Hectare)	0.0680000

3	279	Private	irrigated	0.0130000(Hectare)	0.0130000
4	280	Private	irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
5	282	Private	irrigated	0.0400000(Hectare)	0.0400000
6	290	Private	irrigated	0.3440000(Hectare)	0.3440000
Village: Pathri					
1	138	Government	non-irrigated	1.2080000(Hectare)	1.2080000
2	145	Government	non-irrigated	1.3910000(Hectare)	1.3910000
Village: Phulambri					
1	425	Private	irrigated	0.3800000(Hectare)	0.3800000
2	469	Private	irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
3	472	Private	irrigated	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Total				4.2490	4.2490

[F. No. 12037/31/2017-MAH(P-6)/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.